एक नजर में

पल्स पोलियो जन जागरुकता रैली

खण्डवा। आगामी 12 अक्टूबर को 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पल्स पोलियो अभियान के तहत पोलियो निरोधक दवा पिलाई जायेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ओ.पी. जुगतावत ने बताया कि पल्स पोलियो अभियान के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से 11 अक्टूबर शनिवार को प्रातः 9:30 बजे से नर्सिंग छात्र छात्राओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं तथा विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की जन जागरुकता रैली निकाली जायेगी। यह रैली जिला अस्पताल परिसर से प्रारंभ होकर नगर निगम, घंटाघर, बॉम्बे बाजार, बस स्टैण्ड, मछली बाजार, जलेबी चौक से होती हुई जिला चिकित्सालय परिसर खण्डवा में ही सम्पन्न होगी।

धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

खण्डवा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर सभी होटल, लॉज व धर्मशालाओं के संचालकों को आदेशित किया है कि किसी भी व्यक्ति को ठहराने से पूर्व उसका प्रमाणिक पहचान पत्र अवश्य प्राप्त करें तथा ठहरने वाले व्यक्तियों के विवरण संबंधी जानकारी थानों को उसी दिन दे दी जाये। जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक मकान मालिक को अपने नए किरायेदारों की तथा घरेलू नौकरों के स्वामियों को अपने घरों अथवा संस्थानों में नियुक्त नए कर्मचारियों की जानकारी संबंधित थाने में आवश्यक रूप से देनी होगी। आदेश का पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध धारा 223 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश आगामी 5 दिसम्बर तक प्रभावी रहेंगे।

दो दिवसीय कार्यशाला

खंडवा। सिंधी साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा पवित्र माँ नर्मदा के तट स्थित नर्मदापुरम नगरी में आज शनिवार 11 से रविवार 12 अक्टूबर तक दो दिवसीय सिंधी भाषा में वृहद कहानी लेखन कार्यशाला का आयोजन किया गया है। यह जानकारी देते हुए नगर के वरिष्ठ सिंधी/हिंदी साहित्यकार एवं राष्ट्रीय सिंधी समाज प्रदेश प्रवक्ता निर्मल मंगवानी ने बताया कि इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकारों के साथ प्रदेशभर के अनेक शहरों से सिंधी लेखक शामिल होकर सिंधी भाषा में कहानी सर्जन कर समाजजनों में सिंधी भाषा, सिंधी साहित्य एवं सिंधु संस्कृति की अलख जगाने का प्रयास करेंगे। अकादमी के निदेशक राजेश कुमार वाधवानी ने कहा कि इस कहाणी लेखन कार्यशाला में अनेक शहरों से सिंधी भाषा लेखन में रुचि रखने वाले सहभागी लेखक कशिश सीतलानी, संजय वर्मा, नमोश तलरेजा, हर्षा मूलचंदानी, सागर उदासी, डॉ. मीना वाधवानी, भगवानदास बजाज, निर्मल मंगवानी, द्रोपदी चंदनाणी, सुरेंद्र लच्छवाणी, लीना रामचंदानी, भगवान बाबाणी, राकेश शेवानी, रोहित लच्छवाणी, निर्मला राजानी, जयेश राजानी, राजकुमारी पंजवानी, जय पंजवानी, रेखा रतनानी, संदेश गुरबानी, आसूदो लच्छवाणी, प्रकाश लच्छवाणी, केटी. दादलाणी, दीक्षा, ज्योति टिलवानी, तन्मय वासवानी, रश्मि रामाणी, नन्दकुमार सनमुखाणी, मान्या मोरन्दानी, समीक्षा लच्छवाणी, प्रेरणा बेलानी, सुरेश पारवानी आदि सिंधी भाषा में कहानी सर्जन कर सिंधी साहित्य क्षेत्र में एक इतिहास रचने का प्रयास करेंगे।

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर होगी दण्डात्मक कार्रवाई

खण्डवा। वॉट्सअप, फेसबुक व सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स पर आपत्तिजनक पोस्ट करने और सोशल मीडिया के माध्यम से धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता ने इस संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी आदेश के अनुसार आपत्तिजनक संदेश, फोटो या वीडियो को फारवर्ड करने अथवा पोस्ट करने पर ग्रुप एडमिन तथा संदेश प्रसारित करने वाले के विरूद्ध यह दण्डात्मक कार्यवाही होगी। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जायेगी। जारी आदेश के अनुसार फेसबुक संचालन करने वाले नागरिक तथा वॉट्सअप ग्रुप एडमिन अपने ग्रुप में धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाले संदेश के लिए जिम्मेदार होंगे। अतः ग्रुप एडमिन से कहा गया है कि वे स्वयं ऐसा कोई विवादास्पद संदेश न तो खुद प्रसारित करे और ना ही अपने ग्रुप के सदस्यों को ऐसा करने दें। यदि वॉट्सअप ग्रुप में कोई आपत्तिजनक संदेश ग्रुप के किसी भी सदस्य द्वारा प्रसारित किया जाता है तो एडमिन की जिम्मेदारी होगी कि वह इसके संबंध में निकटतम पुलिस थाने को सूचित करे। ऐसा न करने पर ग्रुप एडमिन घटना के लिए जिम्मेदार माना जायेगा। सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे वॉट्सअप अथवा फेसबुक पर किसी धर्म सम्प्रदाय के संबंध में आपत्तिजनक संदेश या चित्र फारवर्ड न करे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। यह आदेश आगामी 5 दिसम्बर तक प्रभावी रहेंगे।

लायन्स ने श्री दादाजी कॉलेज में किया यातायात जागरूकता व पौधारोपण

खण्डवा। लायन्स क्लब खण्डवा व लियो क्लब खण्डवा ने लायन्स सेवा सप्ताह के अन्तर्गत यातायात जागरूकता कार्यक्रम व पर्यावरण जागरूकता हेतु 21 पौधों का रोपण श्री दादाजी इंजीनियरिंग कालेज में किया गया। सेवा सप्ताह प्रभारी नारायण बाहेती ने बताया कि लायन्स इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3233 जी 1 के गवर्नर लायन अनिल खण्डेलवाल व सेवा सप्ताह डिस्ट्रिक्ट कॉर्डिनेटर लायन डॉ राजेन्द्र सोडाणी के रीजन चेयरपर्सन राजीव मालवीय झोन चेयरपर्सन अणिमा उबेजा के दिशा निर्देशानुसार लायन्स क्लब खण्डवा की अध्यक्ष आशा उपाध्याय सचिव ओमप्रकाश अग्रवाल कोषाध्यक्ष पवन लाड़, प्रभारी नारायण बाहेती, सेवा सप्ताह संयोजक व कॉलेज के डायरेक्टर गुरमीत सिंघ उबेजा, सह संयोजक अखिलेश गुप्ता, शरद खण्डेलवाल, घनश्याम वाधवा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में यातायात जागरूकता विषय पर जानकारी देने के लिए मुख्य वक्ता के रूप में यातायात सूबेदार देवेंद्र परिहार उपस्थित हुए। देवेंद्र परिहार द्वारा वर्तमान में होने वाले एक्सीडेंट में यातायात नियमों की अवेहलना का मुख्य कारण बताते हुए यातायात नियमो व महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। आशा उपाध्याय ने स्वागत उद्बोधन देते हुए यातायात जागरूकता का महत्व बताया। प्राचार्य सपना अरझरे ने लायन्स के इस जागरूकता कार्यक्रम को युवा हितैषी बताते हुए आयोजन की सराहना की। कार्यक्रम में कालेज के प्रोफेसर दीपाली गन्धे, आयोजन समिति के अखिलेश गुप्ता, नारायण बाहेती व कालेज के छात्र छात्राओं ने प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा का समाधान पाया। यातायात नियमो के जानकारी युक्त बेनर, पोस्टर व पम्पलेट से यातायात के प्रति जागरूक किया गया। प्राचार्य सपना अरझरे, देवेंद्रसिंह सोलंकी व कालेज को सराहनीय सहयोग के लिए सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। लायन्स व लियो क्लब खण्डवा द्वारा कालेज परिसर में 21 पौधों का रोपण किया गया। पूर्व में रोपे गए पौधों व 151 त्रिवेणी रोपित श्री दादाजी उद्यान में लायन्स द्वारा रोपित पौधों का अवलोकन कर खुशी का अनुभव किया। कार्यक्रम में पदाधिकारियों के साथ ही सक्रिय सदस्य उमाशंकर उपाध्याय, वीना अठोत्रा, अपूर्व उपाध्याय, राजन बहेल ने उपस्थित रहकर सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन नारायण बाहेती ने व सचिव ओमप्रकाश अग्रवाल ने सभी का आभार माना।

स्थानीय निकाय निर्वाचन संबंधी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 8 से 17 अक्टूबर तक आवेदन दें

खंडवा। म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा नगरीय निकायों एवं पंचायतो की फोटो युक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2025 की तैयारी हेतु प्रक्रिया एवं कार्यक्रम जारी किया गया हैं। जारी कार्यक्रम के अनुसार नगरीय निकायों एवं पंचायतो की फोटो युक्त मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने एवं नाम में संशोधन की कार्यवाही के लिए 8 से 17 अक्टूबर तक नगरीय निकाय के वार्डो में एवं प्रत्येक ग्राम पंचायतो में नियुक्त प्राधिकृत कर्मचारियों द्वारा दावे आपत्ति के आवेदन प्राप्त किये जावेगें। उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन दिनेश सावले ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि नियत अवधि में अपने क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम जोड़ने व हटाने या संशोधन कराने के संबंध में आवेदन संबंधित प्राधिकृत कर्मचारी से प्राप्त कर जानकारी भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं।

कलेक्टर व एसपी ने बाल संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण किया

नवभारत न्यूज

खण्डवा। कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय के साथ शुक्रवार सुबह रतागढ़ स्थित बाल संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की तथा सीसीटीवी मॉनिटरिंग व्यवस्था देखी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को संप्रेक्षण गृह की बाउंड्रीवाल की ऊंचाई बढ़ाने के कार्य में गति लाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री गुप्ता ने होमगार्ड के अधिकारियों को संप्रेक्षण गृह का नियमित रूप से निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए। पुलिस अधीक्षक श्री राय ने इस दौरान पुलिस अधिकारियों को संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा करने के निर्देश दिए।

इस दौरान अपर कलेक्टर अरविंद चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारणेकर, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास रत्ना शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

संप्रेक्षण गृह परिसर में अतिरिक्त लाइटिंग की व्यवस्था के निर्देश

कलेक्टर श्री गुप्ता ने सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास एवं अधीक्षक संप्रेक्षण गृह अजय गुप्ता को निर्देश दिए कि बाल संप्रेक्षण गृह का नियमित रूप से निरीक्षण करें तथा निरीक्षण पंजी में निरीक्षण टीप दर्ज करें। उन्होंने संप्रेक्षण गृह परिसर में अतिरिक्त लाइटिंग की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। उन्होंने संप्रेक्षण गृह के शौचालयों के बीच की पार्टीशन दीवाल की ऊंचाई बढ़ाने के लिए भी कहा। कलेक्टर श्री गुप्ता ने जेल अधीक्षक को मौके पर बुलाकर संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा के संबंध में की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही और अनुशंसा सहित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि जब तक बाउंड्रीवॉल की ऊंचाई बढ़ाने का कार्य जारी है, तब तक संप्रेक्षण गृह में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करें।

रिश्वत लेने पर पटवारी को 3 साल का कारावास

नवभारत न्यूज

खण्डवा। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) खण्डवा अरविन्द सिंह टेकाम ने शुक्रवार को रिश्वत के मामले में फैसला सुनाते हुए रिश्वती नोट चबाने वाले पटवारी राजेश धात्रक को तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

जमीन नामांतरण के लिए मांगी थी रिश्वत

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी हरिप्रसाद बांके, एडीपीओ खण्डवा द्वारा बताया गया कि अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी हरिप्रसाद बांके, एडीपीओ खण्डवा द्वारा बताया गया कि ग्राम सुरगांव जोशी तहसील खण्डवा जिला खण्डवा निवासी मांगीलाल प्यासे ने दिनांक 17.01.2020 को उसके गांव में पदस्थ पटवारी राजेश धात्रक की लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में शिकायत की थी कि उसके पिता के नाम से पटवारी हल्का नं 32 ग्राथ सुरगाव जोशी जिला खण्डया में लगभग 5 एकड कृषि भूमि थी उसके पिता की मृत्यु के बाद उक्त कृषिभूमि उसकी मां और उसके भाईयों के नाम दर्ज हुई थी।

उसकी मां की मृत्यु हो जाने से वह और उसके भाई अलग-अलग बटवारा और नामांतरण कराना चाहते थे। वह पटवारी राजेश धात्रक के घर गया और उससे मिला और पटवारी राजेश धात्रक से अलग-अलग पावती बनाने के लिये कहा तो पटवारी राजेश धात्रक ने कहा कि प्रति पावती 10 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की फरियादी की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर ने निरीक्षक विजय चौधरी के नेतृत्व में टीम गठित कर दिनांक 21.01.2020 को पटवारी के गोखले कंपाउड बिल्डिंग के तीसरी मंजिल पर स्थित पटवारी के प्रायवेट ऑफिस में फरियादी के साथ भेजा। फरियादी से जैसे ही पटवारी राजेश धात्रक ने रिश्वत राशि रूपये 4000/- रूपये नीले रंग की जींस पेंट के सामने की बायी जेब में रख ली तो पकडे जाने पर जब उसे कार्यवाही हेतु टीम द्वारा लाया जा रहा था तो मकान की नीचे स्थित कंपाउड में उसने अचानक हाथ छुडाया और अपनी जीस की पेंट की सामने की बायी जेब से रिश्वत राशि निकालकर मुह में रख ली एवं उसे चबाकर निगलने का प्रयास किया किंतु ट्रेपदल द्वारा आवश्यक प्रयास कर उसके मुंह से रिश्वत राशि निकलवाई।

घटना की विवेचना पूरी होने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने अभियोग पत्र विशेष न्यायालय लोकायुक्त खण्डवा में पेश किया। विचारण के बाद विशेष न्यायाधीश अरविंद सिंह टेकाम ने उन्हे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 क के अंतर्गत तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25,000/- रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

लोकायुक्त की ओर से विनोद कुमार पटेल, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी खण्डवा के द्वारा पैरवी की गई। प्रकरण में साक्षियों को उपस्थित रखने में लोकायुक्त इन्दौर के पुलिस अधीक्षक डॉ. राजेश सहाय के निर्देश पर आरक्षक कमलेश परिहार ने अहम भूमिका निभाई।

मन का ख्याल भी उतना ही जरूरी जितना तन का : मोना दफ्तरी

नवभारत न्यूज

खण्डवा। बच्चों और युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु लायन्स क्लब खण्डवा एवं लियो क्लब खण्डवा द्वारा सेवा सप्ताह के अंतर्गत सूरजकुंड कन्या विद्यालय में मेंटल हेल्थ दिवस व सेवा सप्ताह के अवसर पर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में मेंटल हेल्थ की ट्रेनर मोना दफ्तरी ने कहा कि मन का ख्याल भी उतना ही जरूरी जितना तन का। मानसिक स्वास्थ्य शरीर जितना ही महत्वपूर्ण है। जब हम तनाव, चिंता या उदासी महसूस करते हैं, तो अपने मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करना बहुत ज़रूरी होता है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है - अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को संतुलित रखना ताकि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास से किया जा सके। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को यह समझाया गया कि मन खराब होना या तनाव महसूस करना सामान्य बात है, पर उसे नजरअंदाज न करें। किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी छुपाने के बजाय परिजनों, शिक्षकों या काउंसलर से बात करें।

सकारात्मक सोच, नियमित व्यायाम, संगीत, योग और अच्छी नींद मानसिक स्वास्थ्य को सशक्त बनाते हैं।

सेवा सप्ताह प्रभारी लायन नारायण बाहेती ने बताया कि यह कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन अनिल खण्डेलवाल, सेवा सप्ताह कोऑर्डिनेटर डॉ राजेन्द्र सोडाणी, रीजन चेयरपर्सन लायन राजीव मालवीय एवं झोन चेयरपर्सन लायन अणिमा उबेजा के दिशा निर्देशानुसार आयोजित किया गया।

लायन्स क्लब अध्यक्ष आशा उपाध्याय, सचिव ओमप्रकाश अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष पवन लाड़, वहीं लियो क्लब अध्यक्ष सुमित परिहार, सचिव शिवम जायसवाल और कोषाध्यक्ष केतन वर्मा के नेतृत्व में कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

विद्यालय के प्राचार्य डॉ. संजय निम्भोरकर ने कहा कि इस प्रकार के मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, संयम और सकारात्मकता की भावना जागृत करते हैं।

लायन नारायण बाहेती ने कहा कि सकारात्मक सोच और संवाद ही है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की कुंजी है। सभी मे सकारात्मक सोच की भावना जागृत करना आवश्यक है। इस अवसर पर शरद खंडेलवाल, हेमलता पालीवाल, पूजा अग्रवाल, प्रिया कारले, भावना महोदय, उमाशंकर उपाध्याय, अपूर्व उपाध्याय का विशेष सहयोग रहा।

कार्यक्रम का संचालन लायन नारायण बाहेती ने किया एवं आभार ओमप्रकाश अग्रवाल ने माना।

मोरटक्का पुल से केवल 20 टन तक के वाहनों को ही आवागमन की अनुमति होगी

नवभारत न्यूज

खंडवा। कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई जिला खण्डवा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मोरटक्का पुल से 20 टन से अधिक क्षमता के वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

कलेक्टर गुप्ता ने केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये इंदौर-इच्छापुर राजमार्ग पर भारी मालयान संचालित करना प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं। अब इस मार्ग पर 20 टन बजन और 6 चक्के से अधिक के भारी मालयान संचालित नहीं होंगे। जारी आदेश के अनुसार अब बुरहानपुर की ओर से खण्डवा जिले में प्रवेश करने वाले भारी वाहन खण्डवा जिले के ग्राम देशगांव में प्रवेश कर खरगोन धामनोद होते हुए ए. बी. रोड़ तक पहुंच सकते है।

इसी तरह इन्दौर से चलने वाले भारी वाहन खरगोन जिले से होते हुए खण्डवा जिले के ग्राम देशगांव में प्रवेश कर अपने गन्तव्य तक पहुंच सकते है।

कलेक्टर श्री गुप्ता ने बताया कि आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को इस प्रतिबंधात्मक आदेश से पूर्णतः मुक्त रखा गया है। इनमें राष्ट्रहित की सार्वजनिक निर्माणाधीन परियोजनाओं में संलग्न एन.एच.ए.आई, एम.पी. आर.डी.सी., रेल्वे में संलग्न वाहन, दुग्ध वाहन, फायर बिग्रेड, इमरजेंसी सेवा में संलग्न वाहन, आर्मी के वाहन, विद्युत कंपनी के कार्य में संलग्न वाहन, एल.पी.जी. और पेट्रोलियम पदार्थ परिवहन में लगे 20 किलो लीटर की भण्डारण क्षमता तक के वाहन, यात्री बसें, खाद परिवहन में संलग्न वाहन और अति आवश्यक सेवाओं में संलग्न वाहन शामिल हैं।

ब्लॉक स्टाफ फोर्स की बैठक

नवभारत न्यूज

मून्दी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान को लेकर ब्लॉक स्टाफ फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता एसडीएम पुनासा पंकज वर्मा ने की बैठक में आगामी राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के लिए सभी बूथ कर्मचारी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं पर्यवेक्षकों आवश्यक दिशा निर्देश एवं प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अधिकारियों को अभियान के प्रभावी निगरानी जागरूकता बढ़ाने एवं भूत स्तर सिस्टम पर सभी से समन्वय से करने सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा पोलियो मुक्त भारत हमारा राष्ट्रीय संकल्प है और इसे पूर्ण सफल करने में हर नागरिक की जन भागीदारी आवश्यक है। प्रशिक्षण के दौरान बीएमओ डॉक्टर रविंद्र मंडलोई ने पल्स पोलियो अभियान को लेकर सफलता के नुक्से बताएं एवं इस अभियान को सफल करना है और अंतिम छोर तक हमें पहुंचना है ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक पहुंचे बैठक में निर्णय लिया गया कि जीरो से 5 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बालक बालिकाओं को शत - प्रतिशत पोलियो रोधी खुराक ओ.पी.वी पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

बीएमओ डॉक्टर रविंद्र मंडलोई द्वारा नवागत एसडीएम पंकज वर्मा का पुष्प गुच्छ स्वागत किया गया इस अवसर पर बी.ई.ई सुनीता सोनी बी.पी.एम कुमारी सुमन बड़ोले एवं बीसीएम रामकु जमरे वहां मौजूद थे। सभी ने राष्ट्रीय प्लस पोलो अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। उसमें सुपरवाइजर अनिल कुमार नामदेव ने सभी का आभार माना।

29 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध की गई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

खंडवा। पुलिस अधीक्षक खंडवा मनोज कुमार राय के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) महेंद्र तारणेकर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) राजेश रघुवंशी के मार्गदर्शन में 08 गिरफ़्तारी, 34 जमानती वारंट, 42 समन जिले के विभिन्न थानो के द्वारा अलग-अलग न्यायालय के तामील किये गए। जिले के विभिन्न थानों में त्योहारों के मद्देनजर कुल 29 असामाजिक तत्त्वो के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। धारा 126/135 बीएनएसएस के तहत 19 प्रकरणों मे 24 अनावेदकों के विरुद्ध, धारा 170 बीएनएसएस के तहत 05 प्रकरण मे 05 अनावेदक के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जिले में 18 अनावेदक के विरुद्ध बाउंड ओवर की कार्रवाई की गई है।

दो दिवसीय कार्यक्रम — किशोर दा की पुण्यतिथि पर 13 अक्टूबर प्रात : समाधि स्थल पर सुरमई श्रद्धांजलि एवं शाम को पुलिस ग्राउंड पर संगीत निशा का कार्यक्रम

किशोर दा की पुण्यतिथि पर आयोजित होंगे कई कार्यक्रम

नवभारत न्यूज

खंडवा। देश के हरफनमौला गायक कलाकार किशोरदा जिन्होंने खंडवा की माटी में जन्म लेकर गायन के क्षेत्र में धूम मचाकर खंडवा का नाम देश-विदेश में रोशन किया। खंडवा नगरी को जहां दादाजी धूनीवाले के नाम से जाना जाता है वहीं साहित्यिक क्षेत्र में माखनदादा की नगरी एवं संगीत के क्षेत्र में किशोर दा की नगरी से पहचाना जाता है।

समाजसेवी व किशोर प्रेरणा मंच के प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि जिस कलाकार ने खंडवा का नाम देश व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया उसी के अनुरूप खंडवा के जनप्रतिनिधियों पूर्व विधायक स्वर्गीय हुकुमचंद यादव, सांसद स्वर्गीय नंदकुमारसिंह चौहान के साथ ही संगीत प्रेमियों की मांग पर मप्र की भाजपा सरकार ने किशोरदा को श्रद्धांजलि स्वरूप अनुपम भेंट के रूप में करोड़ों रूपए की लागत का किशोर स्मारक एवं लाखों रूपए की लागत से किशोदा की समाधि का निर्माण कराया। प्रतिवर्ष किशोरदा के जन्मदिवस 4 अगस्त एवं 13 अक्टूबर उनकी पुण्यतिथि पर खंडवा किशोरमय हो जाता है और समाधि पर जहां सुरमयी गीतों के माध्यम से दूध जलेबी का भोग लगाकर संगीत प्रेमी उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं वहीं शासन-प्रशासन भी शानदार कार्यक्रम आयोजित करता है।

प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि प्रदेश शासन ने स्मारक और समाधि के साथ ही किशोर दा के नाम पर किशोर अलंकरण सम्मान समारोह की भी घोषणा की, उसी के अनुरूप प्रतिवर्ष उनकी पुण्यतिथि पर मप्र के संस्कृति विभाग द्वारा खंडवा में एक भव्य आयोजन आयोजित होकर देश के महान कलाकारों को किशोर सम्मान से अंलकृत कर उन्हें पांच लाख रूपए की राशि के साथ सम्मान पट्टिका प्रेषित की जाती है एवं देश के जाने-माने गायक कलाकार इस समारोह में उपस्थित होकर अपनी शानदार प्रस्तुति देते हैं।

समाजसेवी व किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच के प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि किशोर सम्मान का यह आयोजन पहले भोपाल में आयोजित होता था लेकिन जिले के लोकप्रिय मंत्री विजय शाह के प्रयासों से यह सम्मान कार्यक्रम किशोरदा की नगरी में ही वर्षों से खंडवा में ही आयोजित हो रहा है।

इस वर्ष इस वर्ष किशोरदा की पुण्यतिथि के अवसर पर मप्र शासन के संस्कृति विभाग द्वारा राष्ट्रीय किशोर सम्मान पुरस्कार कार्यक्रम खंडवा में दो दिवसीय के रूप में रखा गया है। आयोजित होने के लिए तैयारियां पुलिस ग्राउंड समाधि स्थल एवं स्मारक पर शुरू हो चुकी है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच व नगर निगम के सहयोग से किशोर समाधि स्थल पर किशोर दा की पुण्यतिथि 13 अक्टूबर को प्रातः 10 से 12 बजे तक सुरमयी गीतों भरी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं शाम को मप्र शासन के संस्कृति विभाग द्वारा पुलिस ग्राउंड पर इंदौर और खंडवा के प्रसिद्ध गायक कलाकारों की गीतों भरी प्रस्तुतियां होगी।

14 को दिया जाएगा किशोर राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार

14 अक्टूबर शाम 7.00 बजे पुलिस ग्राउंड पर राष्ट्रीय किशोर सम्मान पुरस्कार देश के महान कवि गीतकार प्रसून जोशी को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, संस्कृति एवं पर्यटन धर्मस्य जिले के प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, मंत्री विजय शाह, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, जिला पंचायत अध्यक्ष पिंकी वानखेडे, महापौर अमृता अमर यादव, विधायक गण कंचन मुकेश तनवे, नारायण पटेल, छाया मौरै प्रदान करेंगे। सम्मान में 5 लाख की राशि के साथ शाल श्रीफल सम्मान पट्टीका भेंट की जाएगी। सम्मान कार्यक्रम के पश्चात मुंबई के गायक कलाकार हेमंत कुमार मुंबई की आर्केस्ट्रा के साथ गीतों की शानदार प्रस्तुती देंगें।